



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख, 1947 (श०)

संख्या - 186 राँची, मंगलवार,

22 अप्रैल, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

21 अप्रैल, 2025

संचिका सं०- 6/मु० (धारा-49)-177/2020-1051/रा०-(6) --छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-49 (5) के तहत अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का प्रावधान सरकार द्वारा किये जाने का प्रावधान है ।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-49(5) के अनुसार भूमि वापसी के सुनवाई एवं निष्पादन हेतु पीठासीन पदाधिकारी के रूप में श्री दीपक बिरूवा, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची को प्राधिकृत किया जाता है ।

3. निष्पादित वाद को कार्यपालिका नियमावली के नियम-24 के तहत माननीय राज्यपाल, झारखण्ड एवं माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के संज्ञान में लाते हुए उनके समक्ष उपस्थापित किया जाएगा ।

4. अधिनियम की धारा-49(5) के तहत भूमि वापसी हेतु नियुक्त पीठासीन पदाधिकारी का कार्यकाल राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से नये पीठासीन पदाधिकारी का नाम राजकीय गजट में प्रकाशित होने तक रहेगा ।
5. अधिसूचना प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
6. पूर्व निर्गत सदृश्य अधिसूचना यथा-संशोधित समझें जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शशि प्रकाश झा,
सरकार के विशेष सचिव ।
